न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
खातुन बनाम आमना बानो
GCMS No- 2023/282
प्रकरण संख्या 85/2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 85/2023
जीसीएमएस न0 2023/282

1. खातुन पत्नी अलानुर जी फकीर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मोहम्मद शरीफ पुत्र अल्लानुर जी फकीर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।

––– प्रार्थीगण

बनाम

1. आमना बानो पुत्री अल्लानुर जी फकीर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
2. रूकसाना बानो पुत्री अल्लानुर जी फकीर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
3. सायरा बानो पुत्री अल्लानुर जी फकीर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
4. हेमा पिता वेणा जी रेगर निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

––– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री अबरार अहमद – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री महेश सोनी – अधिवक्ता विपक्षीगण

:: निर्णय ::

दिनांक:–01.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा लसड़ावन पटवार हल्का लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 15 के आराजी नंबर 665 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 671 रकबा 0.6000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है। उक्त आराजियात जिसके नये आराजी नंबर 665 रकबा 0.45 हैक्टेयर जिसके पुराने आराजी नंबर 1688/352 मीटर तथा आराजी नंबर 671 रकबा 0.60 हैक्टेयर उक्त आराजियात प्राथीगण के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजियात प्रार्थीगा के पिता व पति के समय की आराजियात है जो प्रार्थी के पिता व पति अलानुर जी को अलॉट हुई थी। यह आराजियात जो पुराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीम थी, और जिस जगह प्रार्थीगण के पिता व पति अलानुर जी का कब्जा था उसी जगह पुराने नक्शे में तरमीम की गयी थी परन्तु [illegible] नवीन नक्शा ट्रेस में प्राथ्र्झीगण की आराजी नंबर 671 को सरकारी नाला आराजी नंबर [illegible] दिशा में, तथा आराजी नंबर 665 को सरकारी नाला आराजी नंबर 670 के [illegible] पश्चिम दिशा में [illegible] है जबकि उक्त आराजियात 665 व 671 [illegible] नाला की आराजी नंबर 670 के [illegible] दिशा व आराजी नंबर 617 के उत्तरी दिशा दिशा में [illegible] है तथा प्रार्थीगण की आराजी नंबर 665 व 671 मौके पर एक चक होकर मिली हुई है। राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में आराजी नंबर 665 व 671 को गलत रूप से तरमीम कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:31 IST
Reason: SelfAttested

दिया है जो पूराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीम थी। उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में अंकन् प्रार्थीगण का मौके पर कब्जे अनुसार नहीं किया है। इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण की आराजी नंबर 665 व 671 को सरकारी नाला आराजी नंबर 670 के दक्षिणी ओर एक चक के रूप में जहां प्रार्थीगण मौके पर काबिज है उसी अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकॉर्ड में इंद्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अवष्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी क्रमांक 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता महेश सोनी ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नंबर 665 रकबा 0.48 हैक्टेयर, आराजी नंबर 671 रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि अमीना बानो, रूकसाना बानो, सायरा बानो, मोहम्मद शरीफ पिता अल्लानुर, खातुन बेगम पत्नी अलानूर फकीर के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उपरोक्ट आराजी नंबर के सेटलमेंट से पूर्व आराजी नंबर 1688/352 रकबा 5 बीघा थे। यह भूमि अलानूर पिता रहीम शाह फकीर को पूर्व के आराजी नंबर 352 में आवंटन हुई थी। वर्तमान में प्रार्थीया आराजी नंबर 668 में काबिज होकर काश्त कर रहे है जो नाथूलाल पिता हजारीलाल लौहार के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। यह आराजी नंबर 668 रकबा 0.54 के पुराने नंबर 1700/358 थे। प्रार्थीया के नाम दर्ज आराजी नंबर 665,671 किसी अन्य खातेदार द्वारा कब्जा कर रखा है। प्रार्थीया द्वारा आराजी नंबर 665,671 की गलत तरमीम होना बताया गया। जबकि प्रार्थीया के पिता को पूर्व आराजी नंबर 352 में से भूमि आवंटित हुई है जबकि प्रार्थीया के कब्जे में 668 नंबर जो पुराने आराजी नंबर 1700/358 है। इस प्रकार से तरमीम गलत होना उचित प्रतित नहीं होता है।

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:31 IST
Reason: Self Attested

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संविचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
खातुन बनाम आमना बानो
GCMS No- 2023/282
प्रकरण संख्या 85 / 2023

प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम लसड़ावन की आराजी नम्बर 665, 671 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि में मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकॉर्ड में पूराने नक्शा ट्रेस अनुसार शुद्धि चाही गई। प्रार्थी अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10..2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:31 IST
Reason: SelfAttested